

न्यायालय:-श्रीमति ज्योत्सना आर्य, अति० व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भीकनगांव,
प०निमाड ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय भीकनगांव, जिला खरगोन पश्चिम
निमाड (म०प्र०)


जावक क्रमांक **335** /2020

भीकनगांव दिनांक 07 09 2020

कोविड 19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 07 09 2020 से दिनांक 12.09.2020 तक नियत प्रकरणों जमानत, अंतिम तर्क एवं जारी जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 07.09.2020 से दिनांक 12.09.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती हैं

नियत दिनांक	आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक	सिविल प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक
07-09-2020	21-09-2020(ग्राम न्यायालय)	-
08-09-2020	20-10-2020	06-10-2020
09-09-2020	21-10-2020	07-10-2020
10-09-2020	22-10-2020	08-10-2020
11-09-2020	28-09-2020(ग्राम न्यायालय)	-
12-09-2020	31-10-2020	30-09-2020

नोट:- अंतिम तर्कों के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवायी की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गई है।


न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भीकनगांव, प०निमाड

न्यायालय :- एन.आर. परमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भीकनगॉव न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

भीकनगॉव दिनांक 07.09.2020

:: सूचना ::

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुये इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 07.09.2020 से दिनांक 12.09.2020 तक नियत प्रकरणों, जमानत अंतिम तर्क एवं जरूरी मामलो को छोड़कर शेष समस्त मामलो की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 07.09.2020 से दिनांक 12.09.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है।

नियत दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु अगामी दिनांक
07.09.2020	09.10.2020
08.09.2020	10.10.2020
09.09.2020	12.10.2020
10.09.2020	13.10.2020
11.09.2020	14.10.2020
12.09.2020	15.10.2020

नोट:- अंतिम तर्क के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवायी की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गयी है।


(एन.आर. परमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भीकनगॉव के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)

न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 भीकनगांव जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)
(समक्ष-फरहान एम. कुरैशी)

जा0कं0 118/2020

भीकनगांव, दिनांक 07.09.2020

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 07.09.2020 से दिनांक 12.09.2020 तक नियत प्रकरणों जमानत, अंतिम तर्क एवं जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 07.09.2020 से दिनांक 12.09.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है :-

नियत दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक
07.09.2020	09.11.2020
08.09.2020	10.11.2020
09.09.2020	11.11.2020
10.09.2020	17.11.2020
11.09.2020	18.11.2020
12.09.2020	19.11.2020

नोट :- अंतिम तर्क के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवाई की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गई है।

ओज़ा से
(जजम मसूब कुरैशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भीकनगांव, जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)